सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

भू-प्रबन्ध विभाग एवं जागीर विभाग
राजस्थान, जयपुर

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष 2019-20

केवल कार्यालय उपयोग हेतु

आमुख

राजस्व प्रशासन में भू-प्रबन्ध विभाग एवं भू-प्रबन्ध प्रषिक्षण संस्थान, जयपुर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा भू-प्रबन्ध संक्रियाओं के माध्यम से सर्वेक्षण, पुनः सर्वेक्षण एवं तरमीम सर्वेक्षण कर राज्य के भू-अभिलेख एवं राजस्व नक्षों को अद्यतन करने का कार्य किया जाता है। इस कार्य से विभिन्न राजकीय विभागों की भूमि आधारित विभिन्न योजनाओं यथा नहर, सड़क, पुल, रेल्वे लाईन, बांध आदि आधारभूत संरचनाओ के निर्माण में न केवल महत्वपूर्ण भूमिका रही है अपितु काश्तकारों की भूमि सम्बन्धी जटिल समस्याओं के निराकरण में भी भू-प्रबन्ध विभाग का सहयोग रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त भूमि-सीमांकन सम्बन्धी जटिल प्रकरणों में विभाग द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता है। विभाग के आधुनिकीकरण के क्रम में 4 वर्कस्टेशनों की स्थापना की जाकर उन में सम्पूर्ण राज्य के नक्षों की स्कैनिंग तथा स्केल परिवर्तन का कार्य किया गया था। वर्तमान में आधुनिक तकनीक से सर्वेक्षण/अभिलेखन कार्य की जांच का कार्य विभाग की चारो वर्क स्टेशनों पर किया जा रहा है। विभाग के मुख्यालय पर स्थित भू-प्रबन्ध प्रषिक्षण संस्थान भी संचालित है, जिसमें राजस्थान प्रशासनिक सेवा, तहसीलदार सेवा के अधिकारीगण एवं अमीन / पटवारियों को समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य के कुल 11 जिलों एवं जिला अजमेर की 4 तहसीलों में सर्वेक्षण कार्य आधुनिक तकनीक सर्वेक्षण / अभिलेखन हेतु कार्यादेश जारी किये जा चुके है। सर्वे की कार्यवाही के तहत बाह्य एजेन्सियों द्वारा ग्राउण्ड कन्ट्रोल पाईन्ट (GCP) कायम किये जा चुके है।

मुझे आशा है कि भू-प्रबन्ध विभाग का प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 समस्त सम्बन्धितों के लिए उपयोगी एवं सार्थक सिद्ध होगा।

(आलोक गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव
राजस्व, विभाग, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

भू-प्रबन्ध विभाग

विभाग का संक्षिप्त नोट

प्रस्तावना :-

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां की आबादी का बहुत बड़ा भाग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित उद्योग-धन्धे रोजगार के महत्वपूर्ण साधन है। औद्योगिकरण, शहरीकरण की निरन्तर प्रवृति, भूमि के स्वरूप में परिवर्तन भूमि हस्तान्तरण, पंजीयन, वित्तीयन एवं भूमि आधारित योजनाओं की क्रियान्विति के सन्दर्भ में भू-अभिलेखों का निरन्तर, सही आदिनांक होना नितान्त आवश्यक है। कृषकों का भूमि सम्बन्धी रिकार्ड सही तरीके से आदिनांक होना अत्यन्त आवश्यक है। भू-अभिलेखों का आदिनांक करने सम्बन्धी कार्य भू-अभिलेख विभाग द्वारा सम्पादित किया जाता है। विभाग द्वारा सर्वेक्षण, पुनः सर्वेक्षण एवं सम्बन्धित भू-अभिलेख का कार्य समय-समय पर सम्पन्न कराया जाता रहा है । यद्यपि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भू-राजस्व राजकीय आय का कोई महत्वपूर्ण भाग नहीं है, फिर भी भूमि समस्त आर्थिक गतिविधियों का केन्द्र बिन्दु है ।

विभाग का संगठन :-

भू-प्रबन्ध विभाग राजस्थान, जयपुर के विभागाध्यक्ष का पद भारतीय प्रशासनिक सेवा का है जिसका पदनाम भू-प्रबन्ध आयुक्त एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव राजस्थान, जयपुर के नाम से जाना जाता है। भू-प्रबन्ध संक्रियाओं के अधीन क्षेत्र के लिए भू-प्रबन्ध आयुक्त पदेन निदेशक भू-अभिलेख है। भू-प्रबन्ध आयुक्त के अधीन कार्य के सफल संचालन के लिए एक पद अति0 भू-प्रबन्ध आयुक्त का है, इसी प्रकार वर्तमान में 11 भू-प्रबन्ध अधिकारी कार्यालय जयपुर, अलवर, भरतपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, टोंक, सीकर एवं कोटा मुख्यालय पर कार्यरत है। भू-प्रबन्ध अधिकारियों के पद राजस्थान प्रशासनिक सेवा के है। भू-प्रबन्ध अधिकारियों की सहायता हेतु राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 6 एवं राजस्थान तहसीलदार सेवा के 37 सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी के पद स्वीकृत है। विभाग में 16 सदर मुन्सरिम, 178 निरीक्षक व 715 भू-मापकों के पद स्वीकृत हैं।

भू-प्रबन्ध विभाग में मुख्यालय स्तर पर वर्क स्टेशन एवं भू-प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की हुई है। अतिरिक्त भू-प्रबन्ध आयुक्त भू-प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान के पदेन प्रभारी प्राचार्य है। उक्त प्रशिक्षण संस्थान का बजट भी पृथक से आवंटित था, किन्तु दिनांक 01.03.2002 से उक्त वर्क स्टेशन एवं भू-प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान मुख्य कार्यालय में समायोजित होने से अति0 भू-प्रबन्ध आयुक्त का पद नाम अति0 भू-प्रबन्ध आयुक्त एवं पदेन प्रधानाचार्य, भू-प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान हो गया है। उक्त प्रशिक्षण

संस्थान में प्रशिक्षण हेतु एक राजस्थान तहसीलदार सेवा के अधिकारी का पद भी इन्सट्रक्टर प्रशिक्षण देने हेतु स्वीकृत है।

भू-प्रबन्ध कार्यवाहियां :-

राज्य में भू-प्रबन्ध का कार्य तहसील क्षेत्र के ग्राम स्तर पर सम्पन्न कराया जाता है। राज्य में कुल 338 तहसीले है। वर्तमान में भू प्रबन्ध संक्रियाधीन 19 तहसीले अधिसूचित है। इन 19 तहसीलों में से 6 तहसीलों की भू-प्रबन्ध संक्रियाए बन्द घोषित करवाने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये हुये है। शेष तहसीलो के अधिकांश ग्रामों का कार्य पूर्ण हो चुका है। व आंशिक ग्रामों का कार्य जैरकार चल रहा है। जिनकी कार्य स्थिति निम्नानुसार है:-

भू-प्रबन्ध संक्रियाधीन तहसीलों में कार्य की स्थिति का ब्यौरा
(सूचना संकलन दिनांक 31.12.19)

क्र. सं.	नाम भूप्रबन्ध अधिकारी पार्टी	जिला	तहसील	कुल ग्राम	क्लोंजिंग ग्राम	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	जयपुर	दौसा	लालसोट रामगढ-पचवारा	323	100	221 ग्रामों में कार्य विभिन्न स्तर पर जैरकार एवं 100 ग्रामो का रिकार्ड राजस्व एजेन्सी को सुपुर्द एवं 2 ग्राम बन्द हेतु तैयार क्लोजिंग से शेष।
2.	अजमेर	अजमेर	किशनगढ़, अराई, रूपनगढ	177	-	175 ग्रामों में तरमीम/सर्वेक्षण कार्य पूर्ण है। 2 ग्राम घनी आबादी के कारण सर्वे से शेष। सम्पूर्ण ग्रामों के यथा स्थिति बन्द के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये हुये है।
3.	भरतपुर	भरतपुर	*बैर *भुसावर	162	160	160 ग्रामों का रिकार्ड राजस्व एजेन्सी को सुपुर्द। 2 ग्राम बदर के कारण जैरकार।
		भरतपुर	*रूपवास	164	159	159 ग्रामों का रिकॉर्ड राजस्व एजेन्सी को सुपुर्द। 5 ग्राम बदर के कारण जैरकार है।
4.	बीकानेर	बीकानेर	*लूनकरणसर	119	118	01 ग्राम में अभिलेखन कार्य जैरकार। एवं 118 ग्रामो का रिकार्ड राजस्व एजेन्सी को सुपुर्द।
			*बीकानेर	13 (12+1)	5	शेष 8 ग्रामों में कार्य विभिन्न स्तर पर जैरकार।
5.	सीकर	नागौर	डीडवाना	198	152	6 ग्रामों का कार्य विभिन्न स्तर पर जैरकार है। इनमें से 10 ग्रामों के बन्द के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये हुये है।
			मकराना	137	-	24 ग्रामों में तरमीम/सर्वेक्षण पूर्ण, शेष ग्रामों में कार्य जैरकार। विड्रा हेतु प्रस्तावित।
6.	कोटा	बारां	किशनगंज	213	198	15 ग्रामों का कार्य विभिन्न स्तर पर जैरकार है।
7.	अलवर	अलवर	मुण्डावर	147	141	6 ग्रामो का कार्य विभिन्न स्तर पर जैरकार है।
		अलवर	किशनगढ़बास	115	-	29 ग्रामो की मिसल बन्दोबस्त तैयार शेष 86 ग्रामों का कार्य विभिन्न स्तर पर जैरकार है। यथा स्थिति बन्द के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये हुए है।
8.	टोंक	स0माधोपुर	खण्डार	134	-	85 ग्रामों में सर्वे/तरमीम कार्यवाही पूर्ण। कार्य विभिन्न स्तर पर जैरकार। 49 ग्रामों में सर्वे तरमीम शेष। विड्रा हेतु प्रस्तावित है।
		स0माधोपुर	*बौंली (मलारनाडूंगर)	180	179	भेडोली पुन: सर्वे हेतु मार्गदर्शन चाहा गया है। एक ग्राम मलारना डूंगर में अभिलेखन कार्य शेष।
9.	जोधपुर	सिराही	रेवदर			अभिलेखन कार्य शेष है।

नोट:- नक्शे मैट्रिक प्रणाली में परिवर्तन हो चुके है।

वर्क स्टेशन :-

वर्क स्टेशन शाखा में दिनांक 01.01.19 से 31.12.19 तक डिजिटल इण्डिया लैण्ड रिकार्ड मॉर्डनाइजेशन कार्यक्रम (DILRMP) योजनान्तर्गत चल रहे सर्वे/री-सर्वे कार्य में 11 जिलों व अजमेर की 4 तहसीलों (नसीराबाद, पुष्कर, अजमेर, पीसांगन) के आईकॉनिक, सब आईकॉनिक, प्राईमरी, सैकेन्डरी, टर्सरी, ऑक्जलरी ग्राउन्ड कन्ट्रोल पॉईन्टस एवं एच.आर.एस.आई. ईमेज प्रोसेसिंग के सॉफ्टडाटा की जांच का कार्य किया गया है। उक्त अवधि में विभिन्न विभागों की मांग पर एवं सीमाज्ञान के कार्य हेतु विभिन्न ग्रामों के स्केन्ड राजस्व नक्शों की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करवाई गई। ओल्ड रिकॉर्ड शाखा द्वारा चाहे गये संबंधित दस्तावेजों को स्केन कर उनकी हार्ड प्रति उपलब्ध करवाई गई। विभागीय आधिकारियों / कर्मचारियों को समय-समय पर वर्क स्टेशन शाखा द्वारा आधुनिक सर्वे यंत्रों से संबंधित जानकारी का प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण :-

भू-प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान, मुख्यालय जयपुर द्वारा डिजिटल इण्डिया लैण्ड रिकार्ड मॉर्डनाइजेशन कार्यक्रम (DILRMP) योजना अनुसार राज्य में प्रशिक्षण एवं योग्यता अभिवर्द्धन कार्यक्रम के अंतर्गत अवधि 01.01.19 से 31.12.19 तक आधुनिक सर्वे यंत्रों E.T.S. , DGPS, GIS एवं डिजिटाइजेशन जांच हेतु प्रशिक्षण दिया गया। उक्त अवधि में 21 आई.ए.एस., 183 नायब तहसीलदार, 6 निरीक्षक, 39 भूमापक, 598 पटवारी को प्रशिक्षण दिया गया।

आर.टी.आई. अपील :-

भू-प्रबन्ध आयुक्त कार्यालय में प्रथम अपील अवधि 01.01.19 से 31.12.19 तक कुल 30 अपील प्रकरण प्राप्त हुए है जिनमें से 28 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। 02 अपील प्रकरण निस्तारण से शेष है।

डिजिटल इण्डिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP)

A. कम्प्यूटराईजेशन ऑफ लैण्ड रिकॉर्ड :-

किसानों के लिये पारदर्शी भू अभिलेख एवं भूमि के नक्शे महत्वपूर्ण है। राजस्थान में भू अभिलेख का संधारण भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुरूप संधारित किया जा रहा है। आजादी से पूर्व संवत् 1987 (सन् 1930) एवं आजादी के बाद संवत् 2012 (सन् 1955) भू प्रबन्ध संकियाऐं प्रदेश के अधिकांश भागों में पूर्ण की गई एवं इसके बाद भी भू प्रबन्ध विभाग द्वारा भू अभिलेखों को लगातार अद्यतन किया जाता रहा है। भू प्रबन्ध संक्रियाओं के बाद प्रत्येक पटवार मण्डल में नामांतरकरण के माध्यम से जो भी प्रविष्टियां की जाती है उनका इन्द्राज राजस्व जमाबन्दी (आर.ओ.आर.) में किया जाकर चौसाला जमाबन्दी तैयार की जाती है । अर्थात् प्रत्येक चार वर्ष में राजस्व भू अभिलेख अद्यतन किया जाता है।

नामांतरकरण की प्रविष्टियों का अंकन तो जमाबन्दी चौसाला में हो जाता है लेकिन विभाजन / बेचान / डिक्री / आवंटन आदि के आधार पर नक्शों में तरमीम नहीं होने से प्रदेश में लाखों की संख्या में तरमीम कार्य लम्बित रहा।

प्रदेश में राजस्व विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण परिवर्तनात्मक कदम राजस्व भू अभिलेख को हर दृष्टि से पारदर्शी एवं अद्यतन किया जाकर तहसीलवार ऑनलाईन किया जा रहा है । जनवरी 2019 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 13,12,267 तरमीम, 2,33,630 नामांतरकरण एवं 43,605 अपवादित खाते लम्बित थे जिसमें से इस वर्ष अब तक कुल 10,41,694 तरमीम, 1,73,371 नामांतरकरण एवं 39,608 अपवादित खातों का निस्तारण किया जा चुका है। अतः तरमीम, नामांतरकरण, अपवादित खाते के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के साथ ही जमाबन्दियों के सेग्रिगेशन एवं वन टू वन मैपिंग द्वारा समस्त भू अभिलखों की गुणवत्ता निरीक्षण / जांच किया जाकर उनका आदिनांक एंव त्रुटिरहित संधारित होना सुनिश्चित किया जा रहा है जिसके पश्चात् ही तहसीलों के भू अभिलेख को ऑनलाईन किया जा रहा है।

इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा इस महत्वपूर्ण परिवर्तनात्मक एवं दूरदर्शी पहल के अन्तर्गत राज्य की कुल 338 तहसीलों में से आदिनांक तक 188 तहसीलों को ऑनलाईन अधिसूचित किया जा चुका है। इनमें से 185 तहसीलों को आमजन के उपयोग हेतु ऑनलाईन किया जा चुका है। यह कदम आम जन को प्रत्यक्ष रूप से सकारात्मक लाभ पहुंचाने की क्षमता रखता है।

1. ऑनलाईन नकल (प्रतिलिपि)

सभी राजस्व नक्शे कम्प्यूटराईज्ड कर ई-धरती पोर्टल पर भू नक्शा सॉफ्टवेयर द्वारा अपलोड कर दिये जाते हैं जिससे कि आमजन को यह सुविधापूर्वक उपलब्ध करायी जा सके। वर्तमान में राज्य की

185 ऑनलाईन तहसीलों में जमाबंदी की ई-साईन द्वारा प्रमाणित नकल कम्प्यूटर के माध्यम से आमजन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। राजस्थान के नागरिकों के लिये विभाग द्वारा "धरा" (Dharaa) मोबाईल एप विकसित किया गया है जिस पर कोई भी खातेदार काश्तकार कृषि भूमियों के स्वामित्व संबंधी जानकारी राजस्थान के किसी भी ऑनलाईन तहसील के संबंध में प्राप्त कर सकता है। इसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 19.08. 2019 को किया गया।

2. ऑनलाईन गिरदावरी

ऑनलाईन गिरदावरी किये जाने हेतु भू प्रबंध विभाग द्वारा राजस्व अधिकारी मोबाईल एप्लीकेशन विकसित किया गया है जिसके माध्यम से खरीफ, रबी व जायद फसलों की गिरदावरी ऑनलाईन ही प्रविष्ट की जाती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस आधुनिक सुविधा को दिनांक 19.08.2019 को लोकार्पण किया गया। हाल ही में प्रदेश की 144 ऑनलाईन तहसीलों में गत खरीफ फसल गिरदावरी को ऑनलाईन किया जा चुका है एवं ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाईन गिरदावरी की नकलें जारी की जा रही है।

3. ऑनलाईन नामांतरकरण (Mutation)

नामान्तरकरण की प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी एवं कालबाधित करते हुये आरपीजी व तहसीलदार स्वयं के यूजर आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से नामान्तरकरण लॉक करेंगें एवं लॉक होते ही नामन्तरकरण का अमल जमाबंदी में दर्शाया जायेगा। इसमें एक अहम पहलू यह है कि विभाजन के नामान्तरकरण की प्रक्रिया हेतु तरमीम की प्रक्रिया भी नामान्तरकरण के साथ ही पूर्ण किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।

4. बैंक रहन - कृषि ऋण की सुगमता :

कृषकों को कृषि कार्य के तहत आसानी से समय पर ऋण उपलब्ध करवाने के लिए दिनांक 26.06.2019 को राजस्व विभाग द्वारा "कृषि ऋण पोर्टल" Launch किया जाकर पायलट आधार पर झुन्झुनू जिले में प्रारंभ किया जा चुका है। राज्य की समस्त बैंक शाखाओं को इस पोर्टल से सम्बद्ध कर ऋण उपलब्ध करवाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस कार्य की शुरूआत से कृषि ऋण हेतु काश्तकारों को राजस्व विभाग एवं पंजीयन कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिल जायेगी। रहन नामान्तरकरण एवं पंजीयन की कार्यवाही स्वतः हो रही है।

B. **मॉडर्न रिकॉर्ड रूम** :

डिजिटल इण्डिया लैण्ड रिकॉर्ड मार्डनाईजेशन प्रोग्राम (DILRMP) के अन्तर्गत राज्य की समस्त तहसीलों में आधुनिक भू अभिलेख कक्ष स्थापित किये जा रहे हैं। भू अभिलेखों के सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित रख रखाव हेतु कॉम्पेक्टर्स (आधुनिक आलमारिया) की व्यवस्था की जा रही है। तहसीलों में उपलब्ध समस्त लीगेसी रिकॉर्ड को स्कैनिंग करवाया जा रहा है जिसके तहत काश्तकारों को समस्त ऐतिहासिक भू अभिलेखों की प्रतिलिपियां आसानी से उपलब्ध करवाई जा सकेगी। वर्तमान में 245 तहसीलों में बाह्य एजेन्सी IL&FS के माध्यम से यह कार्य करवाया जा रहा है, जिसमें से 203 तहसीलों में तृतीय स्तर (स्कैनिंग कार्य के अलावा सम्पूर्ण कार्य) तक कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 111 तहसीलों एवं 183 उप तहसीलों में मॉर्डन रिकॉर्ड रूम स्थापना हेतु RISL के माध्यम से हार्डवेयर की आपूर्ति तथा पुरा-अभिलेख की स्कैनिंग का कार्य करवाये जाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है जो प्रक्रियाधीन है।

C. **सर्वे / री- सर्वे** :

DILRMP के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य के 11 जिलों (जयपुर, टोंक, झालावाड, भीलवाडा, जोधपुर, बांसवाडा, राजसमन्द, बाडमेर, चुरू, हनुमानगढ, श्रीगंगानगर एवं अजमेर जिले की 4 तहसीलें पुष्कर, पीसांगन, अजमेर, नसीराबाद) सर्वे / री- सर्वे कार्य भू प्रबन्ध विभाग द्वारा सम्पादित करवाया जा रहा है । यह कार्य आधुनिकतम सर्वे पद्धति HRSI (High Resolution Satellite Imagery) के माध्यम से ईटीएस/डीजीपीएस के सहयोग से किया जा रहा है । उक्त कार्य 5 बाह्य एजेन्सियों के द्वारा करवाया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत तैयार किये जाने वाले नक्शे धरातलीय प्रविष्टियों की वास्तविक स्थिति को दर्शायेगें।

एजेन्सियों द्वारा मौके पर ग्राउण्ड कंट्रोल पॉईन्ट की स्थापना की गई है जिनका विभाग के कार्मिकों द्वारा भौतिक रूप से सत्यापन किया गया है। इन बिंदुओं के स्थापित करने से भविष्य में भू संबंधी सीमाज्ञान के विवादों का निपटारा करने में महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा । HRSI (High Resolution Satellite Imagery) के माध्यम से प्राप्त ईमेज के आधार पर तैयार किये गये नक्शों का विभाग के कार्मिकों द्वारा जांच एवं प्रमाणीकरण किया जा रहा है। सर्वप्रथम तहसील के एक-एक ग्राम का सर्वे कार्य पूर्ण कर पटवार मण्डल, भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं तत्पश्चात् तहसील स्तर पर कार्य पूर्ण करवाया जायेगा । इस दौरान काश्तकारों को पर्चा नोटिस वितरण किया जा रहा है । काश्तकारों द्वारा की जाने वाली आपत्तियों का विभाग के अधिकारियों द्वारा मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है जिससे स्वच्छ एवं पारदर्शी स्थायी अभिलेख तैयार किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश के उक्त जिलों की 12 तहसीलों में कार्य प्रक्रियाधीन है।

D. **उप पंजीयक कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण** :

DILRMP के अन्तर्गत राज्य के 529 उप पंजीयक कार्यालयों में से 527 कार्यालयों का कम्प्यूटीरकरण करवाया जा चुका है जिसके तहत ई-पंजीयन सॉफ्टवेयर के माध्यम से पंजीयन कार्य किया जा रहा है । पंजीयन कार्य के तहत ई-स्टाम्पिंग की व्यवस्था की जा रही है । पंजीयन दस्तावेज भी ऑनलाईन प्रस्तुत करवाये जाने की कार्यवाही प्रगतिरत है । वर्ष 2012 तक के पंजीयन दस्तावेजों को स्कैन करवाया जा रहा है ताकि आमजन को सुगमता से प्रतिलिपियां जारी की जा सके । राजस्व कार्यालयों एवं उप पंजीयक कार्यालयों के मध्य Connectivity (अन्तःसम्बद्धता) स्थापित की जा रही है। ऑनलाईन तहसीलों में पंजीयन दस्तावेजों के आधार पर (Automatic) स्वतः नामान्तरकरण की कार्यवाही शुरू की जा चुकी है, जिसके तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तहसील चौमूं और दूदू जिला जयपुर में स्वतः नामान्तरकरण का कार्य किया जा रहा हैं।

राजस्थान भू-अभिलेख आधुनिकीकरण सोसायटी :-

ग्रामीण विकास मंत्रालय भू-संसाधन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 13014/4/2007-LPD दिनांक 02.08.11 द्वारा DILRMP के तहत् सोसायटी के गठन के सम्बन्ध में गाईड लाईन जारी की गई । प्रमुख शासन सचिव राजस्व इसके अध्यक्ष एवं भू प्रबन्ध आयुक्त इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी है । जिसके अन्तर्गत राजस्थान भू-अभिलेख आधुनिकीकरण सोसायटी का गठन दिनांक 02.12.11 को हुआ है । सोसायटी में निम्नलिखित पद राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत है :

1. कन्सलटेन्ट - 2
2. प्रोग्रामर - 1
3. लेखाकार - 1
4. सहायक - 1
5. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर - 1
6. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी - 1

न्यायालय भू-प्रबन्ध आयुक्त

अपीलों का निस्तारण :-

1. जिला कलक्टर, उप खण्ड अधिकारी एवं भू-प्रबन्ध अधिकारीगण के निर्णय के विरूद्ध प्राप्त अपीलें व मा० राजस्व मंडल राज०, अजमेर से रिमाण्ड होकर पुनः सुनवाई हेतु प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण भू प्रबन्ध आयुक्त द्वारा किया जाता है। 1 जनवरी 2019 को 31 अपील प्रकरण विचाराधीन थे. एवं 2 नये प्रकरण प्राप्त हुये है 33 अपील प्रकरण शेष है।
2. 01 जनवरी 2019 में रेफरेन्स प्रकरण 24 विचाराधीन थे। दिनांक 31.12.19 तक 3 नये रेफरेन्स प्रकरण प्राप्त हुए है। 27 रेफरेन्स प्रकरण शेष है।

अनुशासनात्मक कार्यवाही :-

विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जांच प्रकरण गत वर्ष में सीसीए नियम-16 के अन्तर्गत 23 प्रकरण शेष थे, जिनमें से 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 में 1 प्रकरण नये प्राप्त हुए। इस प्रकार कुल 24 प्रकरणों में से 16 प्रकरण का निस्तारण हो चुका है। वर्तमान में 8 प्रकरण शेष है। सीसीए नियम-17 के अन्तर्गत गत वर्ष के 3 प्रकरण शेष थे। जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक 3 प्रकरण नये प्राप्त हुए इस प्रकार कुल 6 प्रकरणों में से 3 प्रकरण निस्तारित हो चुके हैं वर्तमान में 3 प्रकरण शेष है। भ्रष्टाचार एवं गंभीर अनियमितता के मामले में विभाग का कोई कार्मिक निलम्बित नहीं चल रहा है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 :-

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत विभाग को दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2019 में कुल 299 आवेदन पत्र प्राप्त हुये है, जिनमे सभी का निस्तारण किया जा चुका है।

ओल्ड रिकार्ड शाखा :-

विभाग की ओल्ड रिकार्ड में काश्तकारों द्वारा नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 01.01.19 से 31.12.19 तक कुल 6,473 आवेदन पत्र प्राप्त हुऐ जिनमे से 6,472 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जा चुका है। 01 आवेदन पत्र शेष है।

समीक्षाधीन वर्ष में ओल्ड रिकार्ड में कुल 56 प्रार्थना पत्र अभिलेख अवलोकन के प्राप्त हुये है जिनका निस्तारण किया जा चुका है।

विभागीय पदोन्नतियां वर्ष 2019-20

क्र. सं.	पदोन्नत पद	पदोन्नति हेतु की गई कार्यवाही
1	2	3
1.	निरीक्षक से सदरमुसंरिम	पदोन्नति की जा चुकी है।
2.	भू-मापक से निरीक्षक	पदोन्नति की जा चुकी है।
3.	अति. प्रशासनिक अधिकारी से प्रशा. अधिकारी	पात्र कार्मिक उपलब्ध नहीं
4.	सहा.प्रशा.अधिकारी से प्रशा. अधिकारी	शासन से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र चाहा गया है, प्राप्त होते ही कार्यवाही शीघ्र की जानी है।
5.	वरिष्ठ सहायक से सहा. प्रशा. अधिकारी	संभागीय आयुक्त भरतपुर से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र चाहा गया है, प्राप्त होते ही कार्यवाही शीघ्र की जानी है।
6.	कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक	संभागीय आयुक्त भरतपुर से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र चाहा गया है, प्राप्त होते ही कार्यवाही शीघ्र की जानी है।
7.	क. प्रारूपकार से व. प्रारूपकार	शासन से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र चाहा गया है, प्राप्त होते ही कार्यवाही शीघ्र की जानी है।
8.	अनुरेखक से क. प्रारूपकार	शासन से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र चाहा गया है, प्राप्त होते ही कार्यवाही शीघ्र की जानी है।
9.	च.श्रे.कर्मचारी से क. सहायक	उच्चतर पद पर पदोन्नति होने के पश्चात् नियत कोटे अनुसार रिक्त पद की गणना की जाकर पदोन्नति की जावेगी।
10.	च.श्रे.कर्मचारी से जमादार	शासन से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र चाहा गया है, प्राप्त होते ही कार्यवाही शीघ्र की जानी है।
11.	व.निजी सहायक से निजी सचिव	पद रिक्त नही।
12.	निजी सहायक से वरिष्ठ निजी सहायक	शासन से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र चाहा गया है, प्राप्त होते ही कार्यवाही शीघ्र की जानी है।
13.	शीघ्रलिपिक (स्टेनो.) से निजी सहायक	शासन से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र चाहा गया है, प्राप्त होते ही कार्यवाही शीघ्र की जानी है।
14.	च.श्रे.कर्मचारी से वाहन चालक	पद रिक्त नही।

भू-प्रबन्ध विभाग राजस्थान,जयपुर
वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु स्वीकृत बजट प्रावधान व व्यय का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	बजट शीर्ष मय उपमद्	स्वीकृत प्रावधान 2019-20	व्यय का विवरण (01.04.2019 से 31.12.2019)	विशेष विवरण
1-	मांग संख्या-8 2029-भू-राजस्व, 102-सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य, (01)-प्रधान कार्यालय (प्रतिबद्ध)			
	01- संवेतन	660.00	408.14	
	03- यात्राव्यय	4.00	1.13	
	04- चिकित्सा व्यय	5.80	5.21	
	05- कार्यालय व्यय (नवीन व्यय)	30.00	18.03	
	06- वाहनों का क्रय	0.01	-	
	07- कार्यालय वाहनो का संचालन एवं संधारण	0.60	0.53	
	21 अनुरक्षण एवं मरम्मत	3.00	0.84	
	29- प्रशिक्षण,भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय	5.50	2.85	
	32- डिक्रीकर (प्रभृत)	0.51	0.50	
	36- वाहन किराया	0.01	0.01	
	37- वर्दीयां तथा अन्य सुविधाऐं	0.33	0.29	
	41- संविदा सेवाएं	5.50	4.63	
	62- कम्प्यूटराईजेंशन एवं तत्सम्बन्धी संचार व्यय	0.01	0.00	
	योगः- दत्तमत **प्रभृत**	**714.76** **0.51**	**441.65** **0.50**	
2-	(02)- जिला कर्मचारी (प्रतिबद्ध)			
	01- संवेतन	4500.00	2538.26	
	02- मजदूरी	2.50	0.22	
	03- यात्रा व्यय	60.00	31.27	
	04- चिकित्सा व्यय	35.00	6.96	
	05- कार्यालय व्यय	40.00	27.01	
	09- किराया रेट और कर/रॉयल्टी	12.60	8.57	
	18- मशीनरी और साज सामान	0.01	-	
	21- अनुरक्षण एवं मरम्मत	11.00	1.10	
	36- वाहन किराया	33.00	26.12	
	37- वर्दीयां तथा अन्य सुविधाऐं	1.03	0.59	
	39- मुद्रण व्यय	3.40	0.04	
	41- संविदा व्यय	0.01	-	
	62- कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्सम्बंधी संचार व्यय	0.01	-	
	योगः- दत्तमत	**4698.56**	**2640.14**	

स्वीकृत प्रावधान 2018-19

व्यय का विवरण

क्र.सं.	बजट शीर्ष मय उपमद्	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग	(01.04.2019 से 31.12.2019)
3-	2029-भू-राजस्व, 103-भू-अभिलेख, (04)-भू-अभिलेख सुधार योजना (भू प्रबन्ध आयुक्त के अभिकरण से) [02]-भू प्रबन्ध विभाग का आधुनिकीकरण (केन्द्र प्रवर्तित योजना)				
	12- सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	-	0.01	0.01	-
	18- मशीनरी साज सामान औजार एवं संयंत्र	-	0.01	0.01	-
	40- अनुसंधान, मुल्यांकन एवं सर्वेक्षण व्यय	-	0.01	0.01	-
	62- कम्प्यूटराईजेशन एंव तत्सम्बन्धी संचार व्यय	-	0.01	0.01	-
	92- सहायतार्थ अनुदान (संवेतन)	-	0.01	0.01	-
	योग:-	**-**	**0.05**	**0.05**	**-**
4-	2029 भू-राजस्व 103 भू-अभिलेख (09)- वैश्विक सूचना प्रणाली प्रयोगशाला (01)- वैश्विक सूचना प्रणाली				
	18-मशीनरी साज सामान (औजार एवं संयंत्र)	50.00	0.01	50.01	-
	40-अनुसंधान, मुल्यांकन एवं सर्वेक्षण व्यय	-	0.01	0.01	-
	62-कम्प्यूटराईजेशन एंव तत्सम्बन्धी संचार व्यय	50.00	0.01	50.01	-
	योग	**100.00**	**0.03**	**50.03**	**-**
5-	2029 भू-राजस्व 789 अनुसूचित जातियो के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01) आयुक्त भू-प्रबन्ध विभाग के माध्यम से ख्01, भू-प्रबन्ध विभाग का आधुनिकीकरण (केन्द्र प्रवर्तित योजना)				
	18-मशीनरी साज सामान (औजार एवं संयंत्र)	-	0.01	0.01	-
	40-अनुसंधान, मुल्यांकन एवं सर्वेक्षण व्यय	-	0.01	0.01	-
	62- कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्संबंधी संचार व्यय	-	0.01	0.01	-
	योग :-	**-**	**0.03**	**0.03**	**-**
6-	2029 भू-राजस्व 796 जन जाति क्षेत्र उपयोजना (01) आयुक्त भू-प्रबन्ध विभाग के माध्यम से [01] भू-प्रबन्ध विभाग का आधुनिकीकरण (केन्द्र प्रवर्तित योजना)				
	18-मशीनरी साज सामान (औजार एवं संयंत्र)	-	0.01	0.01	-
	40-अनुसंधान, मुल्यांकन एवं सर्वेक्षण व्यय	-	0.01	0.01	-
	62-कम्प्यूटराईजेशन एंव तत्सम्बन्धी संचार व्यय	-	0.01	0.01	-
	योग :-	**-**	**0.03**	**0.03**	**-**

(राशि लाखो में)

क्र.सं.	बजट शीर्ष मय उपमद	स्वीकृत प्रावधान 2019-20	व्यय का विवरण 01.4.19 से 31.12.19 तक	विशेष विवरण
7-	बजट शीर्ष 2059-लोक निर्माण कार्य, 80-सामान्य, 053-रख रखाव व मरम्मत 23- भू-प्रबन्ध विभाग के माध्यम से (प्रतिबद्ध)			
	21 अनुरक्षण एवं मरम्मत	25.00	0.30	-
	योगः-	**25.00**	**0.30**	**-**
8-	बजट शीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत व्यय 80 सामान्य 051 निर्माण 052 सामान्य भवन			
	17 वृद्वद् निर्माण (आयोजना)	56.64	0.40	-
	योगः-	**56.64**	**0.40**	**-**

परिशिष्ट 'अ'

भू-प्रबन्ध विभाग संगठन का ढांचा

भ प्रबन्ध आयक्त

मुख्य कार्यालय		भू-प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान		ओल्ड रिकॉर्ड		वर्कस्टेशन		एकल खिड़की	
अति. भू-प्रबंध आयुक्त	1	इन्स्ट्रक्टर	1	निरीक्षक	1	निरीक्षक	1	भू-मापक	2
वरिष्ठ लेखाधिकारी	1								
सहा. भू-प्रबंध अधिकारी (आर.ए.एस.)	1	भू-मापक	1	व. प्रारूपकार	1	भू-मापक	3		
सहा. भू-प्रबंध अधिकारी (आर.टी.एस.)	2			भू-मापक	2				
मुख्य विधि सहायक	1			कनिष्ठ प्रारूपकार	2				
एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	1			अनुरेखक	1				
प्रोग्रामर	1								
सहायक प्रोग्रामर	1								
सूचना सहायक	5								
सदर मुन्सरिम	5								
निरीक्षक	1								
भू-मापक	7								

क्र.सं.	भू-प्रबन्ध अधिकारी पार्ट	भू-प्रबन्ध अधिकारी	सहा. भू-प्रबंध अधिकारी आर.ए.एस.	सहा. भू-प्रबंध अधिकारी आर.टी.एस.	सदर मुन्सरिम	निरीक्षक	भू-मापक
1.	जयपुर	1	2	3	1	25	100
2.	भरतपुर	1	-	4	1	15	60
3.	अजमेर	1	-	3	1	14	60
4.	बीकानेर	1	1	3	1	15	60
5.	अलवर	1	-	4	1	17	62
6.	कोटा	1	-	3	1	15	60
7.	सीकर	1	-	4	1	15	60
8.	जोधपुर	1	1	2	1	15	59
9.	उदयपुर	1	1	2	1	15	60
10.	टोंक	1	-	3	1	15	60
11.	भीलवाड़ा	1	-	3	1	14	59
	योग :-	**11**	**5**	**34**	**11**	**175**	**700**

गत तीन वर्षों के लक्ष्य एवं उपलब्धि का तुलनात्मक स्टेटमेन्ट

क्र.सं.	आईटम	यूनिट	लक्ष्य वर्ष 01.01.16 से 31.12.16	उपलब्धियां 01.01.16 से 31.12.16	लक्ष्य वर्ष 01.01.17 से 31.12.17	उपलब्धियां 01.01.17 से 31.12.17	लक्ष्य वर्ष 01.01.18 से 31.12.18	उपलब्धियां 01.01.18 से 31.12.18	लक्ष्य वर्ष 01.01.19 से 31.12.19	उपलब्धियां 01.01.19 से 31.12.19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	सर्वेक्षण	व.कि.मी.	300	156.29	104.04	-	-	-	लक्ष्य निर्धारित नही है *	-
2.	तरमीम सर्वे	व.कि.मी.	1930.99	268.34	143.54	1.39	-	2200 ख.नं.	-	-
3.	रकबा बरारी कार्य	ख.न.	262449	41631	94438	47802	19335	5535	-	-
4.	मिलान क्षेत्रफल सर्वे	ख.न.	84727	6030	75361	18971	17708	10890	-	-
5.	मिलान क्षेत्रफल तरमीम	ख.न.	173154	89632	26590	12142	3957	4120	-	-
6.	अभिलेखन	ख.न.	244568	112832	106238	43797	18904	27816	-	-
7.	भूमि वर्गीकरण कार्य	ख.न.	255308	79591	80876	30230	30729	32468	-	-
8.	तरतीब कार्य	ख.न.	109889	85026	68397	27339	16518	24819 तथा 5120 खाते	-	-
9.	तैयारी पर्चा खतौनी	ख.न.	240871	78529	89888	28373	11721	29877 तथा 900 खाते	-	-
10.	पर्चा खतौनी तस्दीक	ख.न.	240871	78529	89638	40629	11721	26707 तथा 4637 खाते	-	-
11.	तैयारी मिसल बंदोबस्त	नामा.स.	103978	66148	99663	46793	32472	52644	-	-
12.	ट्रेस तैयारी	ख.नं.	30517	72181	29064	29299	66392	18841	-	-

पारम्परिक पद्धति में उपलब्धियों में कमी के कारण :-

1. पटवार तरमीम अप्राप्त, राजस्व विभाग की त्रुटियों एवं बदरों का निस्तारण नही होना एवं आदिनांक सेग्रीगेटेड राजस्व जमाबंदी अप्राप्त होना।
2. मतदाता सूची, बी.एल.ओ. कार्य में स्टाफ कार्यरत होना व सीमाज्ञान में राजस्व विभाग को तकनीकी सहयोग में स्टाफ उपलब्ध करवाना।
3. आर.टी.एस एवं पटवारीगण को प्रशिक्षण में स्टाफ कार्यरत होना।
4. भूमापकों के पद रिक्त होना।
5. डीआईएलआरएमपी योजनान्तर्गत जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, तहसील कार्यालयों में राजस्व एजेन्सी के साथ तरमीम इत्यादि में कार्मिकों का कार्यरत रहना।
6. डीआईएलआरएमपी योजनान्तर्गत कम्पनीयों द्वारा सर्वे/रि-सर्वे के कार्यो में कार्मिकों का कार्यरत होना।
7. भू-प्रबन्ध संक्रियाधीन तहसीलों के यथास्थिति बंद घोषित होने के कारण।
8. * पारम्परिक पद्धति का कार्य समाप्त प्राय है तथा वर्तमान में DILRMP योजना के अंतर्गत राज्य के 11 जिलों (जयपुर, टोंक, झालावाड़, भीलवाड़ा, जोधपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, बाड़मेर, चुरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर एवं अजमेर जिले की चार तहसीलें पुष्कर, पीसांगन, अजमेर, नसीराबाद) में सर्वे / रि-सर्वे का कार्य भू-प्रबंध विभाग द्वारा संपादित करवाया जा रहा है।

सार -संक्षेप (EXECUTIVE SUMMARY)

सर्वेक्षण एवं भू अभिलेख तैयार करने में भू प्रबंध विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भू-प्रबन्ध विभाग पारम्परिक पद्धति से सर्वेक्षण एवं अभिलेख कार्य हेतु विशेषज्ञ एजेन्सी के रूप में कार्य करता है। सर्वेक्षण एवं अभिलेखन कार्य के सम्पादन हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, राजस्थान भू-राजस्व (सर्वे,अभिलेख तथा बन्दोबस्त) (सरकारी) नियम-1957 एवं सुसंगत नियमों में प्रावधान निहित है। भू-प्रबन्ध विभाग तकनीकी कार्य के अन्तर्गत राजस्व एजेन्सी द्वारा जटिल प्रकरणों (सीमाज्ञान) में भू-प्रबन्ध विभाग से तकनीकी सहयोग की मांग किये जाने पर राजस्व एजेन्सी को तकनीकी सहयोग उपलब्ध करा जटिल प्रकरणों का निस्तारण पारम्परिक पद्धति एवं आधुनिक पद्धतियो से कर रहा है।

वर्तमान में विभाग पारम्परिक पद्धति से आधुनिक तकनीक की ओर बढ रहा है । इस हेतु DILRMP के तहत भारत सरकार से प्राप्त राशि से आधुनिक तकनीक के माध्यम से राज्य के 11 जिले क्रमश: टोक. भीलवाडा, झालावाड, बाडमेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, जयपुर, राजसमन्द, जोधपुर, बासंवाडा एवं राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवायी राशि से अजमेर जिले की 4 तहसीले अजमेर, पुष्कर, पिसांगन व नसीराबाद में सर्वे कार्य करवाया जा रहा है । भू-प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान में STI के मार्फत ट्रेनिंग दी जाकर कार्मिको को आधुनिक तकनीक से होने वाली सर्वे पद्धति से दक्ष किया जा रहा है ।

DILRMP के आधुनिक पद्धति से किये गये सर्वेक्षण एवं अभिलेखन से आमजन/ कृषको को भू-अभिलेख आदिनांकित होकर एकल खिडकी पर उपलब्ध हो सकेगा । इस पद्धति से किया गया सर्वेक्षण/नक्शें धरातलिय विशिष्टियों का वास्तविक प्रतिबिम्ब होगा एवं भू-अभिलेख भू-स्वामित्व का सही चित्रण करने वाला होगा । DILRMP परियोजना के क्रियान्वयन में यह विभाग Nodal Department का कार्य कर रहा है । मैप डिजिटाईजेशन कार्य राज्य की सभी तहसीलों में किया जा रहा है । अब तक 185 तहसीलों के अभिलेख एवं नक्शों को ऑनलाईन किया जा चुका है । इसी भांति राज्य की 211 तहसीलों में आधुनिक अभिलेखागार तैयार किये गये है ।

राजस्थान सरकार

कार्यालय जागीर एवं खुदकाश्त आयुक्त, राजस्थान, जयपुर

प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 01.01.2019 से 31.12.2019

भू-प्रबन्ध आयुक्त पदेन तौर पर जागीर आयुक्त है। इनकी सहायता के लिए अति0 भू-प्रबन्ध आयुक्त पदेन अति0 जागीर आयुक्त का पद स्वीकृत है। मुख्यालय पर दो वरिष्ठ लिपिक है, एक कनिष्ठ लिपिक व एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत है। जिले में जागीर सम्बन्धी कार्य जिलाधीश (जागीर) देखते है एवं जिलाधीश अपने स्टाफ से ही जागीर सम्बन्धी कार्य लेते है।

जागीर पुर्नग्रहण सम्बन्धी कार्य का विवरण निम्न प्रकार है :

1. मुआवजे दावे से सम्बन्धित प्रकरण		03
	निर्णित -	
	कुल शेष	03
2. निजी सम्पति से सम्बन्धित प्रकरण		16
	निर्णित	00
	कुल शेष	16
3. खुदकाश्त भूमि आवंटन से सम्बन्धित प्रकरण कुल		47
	निर्णित	00
	कुल शेष	47
4. उत्तराधिकारी नियुक्त केसेज		20
5. मुआवजे के रूप में भूतपूर्व जागीरदारो को बोण्डस के पेटे भुगतान करना शेष		रू. 19,75,990.19